न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण क्रमांक 1805–पीबीआर/13 विरूद्ध आदेश दिनांक 5–3–2013 पारित द्वारा तहसीलदार, तहसील सेगांव जिला खरगोन प्रकरण क्रमांक 1/अ–13/12–13

दामोदर पिता छगन गुप्ता
निवासी ग्राम जामोठी तहसील सेगांव जिला खरगोन

.....आवेदक

विरूद्ध

1–आशाराम पिता उमराव भीलाला
2–भारत पिता उमराव भीलाला
3–किसन पिता उमराव भीलाला
तीनों निवासी ग्राम ग्यासपुरा तहसील सेगांव जिला खरगोन

.....अनावेदकगण

श्री मुकेश भार्गव, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री टी0टी0गुप्ता एवं श्री ओ0पी0शर्मा, अभिभाषक, अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 6/9/14 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार, तहसील सेगांव जिला खरगोन द्वारा पारित आदेश दिनांक 5–3–2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदकगण द्वारा एक आवेदन तहसीलदार तहसील सेगांव के समक्ष संहिता की धारा 131 व सहपठित धारा 32 का आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अनावेदकगण के स्वामित्व की भूमि ग्राम

ग्यासपुरा में सर्वे क्रमांक 9 व 63 में बैलगाडी तथा कृषि उपकरण यंत्र लाने व ले जाने का वहिवाटी रास्ता आवेदक द्वारा रोकने के कारण रास्ता खुलवाया जाये । तहसीलदार द्वारा प्रकरण दर्ज किया जाकर आवेदक को सूचना दी गई । आवेदक द्वारा अनावेदकगणों के मूल आवेदन व धारा 32 का जबाव मय दस्तावेज के प्रस्तुत किया गया, जिसमें आवेदक द्वारा बताया गया कि आवेदक के सर्वे नम्बर 64 में कोई वहिवाटी व परम्परागत रास्ता नहीं है और कभी भी रास्ता नहीं रहा है । तहसील न्यायालय द्वारा राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी के साथ मौका देखा व पंचों से जानकारी प्राप्त की गई उसके बाद अनावेदकगणों का संहिता की धारा 32 का आवेदन पारित अंतरिम आदेश दिनांक 5–3–13 से स्वीकार कर रास्ता खुलवाये जाने का आदेश दिया गया। तहसील न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 5–3–13 से परिवेदित होकर आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस बात पर विचार नहीं किया है कि संहिता की धारा 131 में वही व्यक्ति आवेदन दे सकता है जो भूमिस्वामी हो, जबकि अनावेदकगण भूमिस्वामी नहीं है व ग्राम सेगांव के निवासी भी नहीं है, भूमिस्वामी धापीबाई है । अनावेदकगण को उनकी भूमि पर आने–जाने के लिये पूर्व से वैकल्पिक रास्ता है, और प्रश्नाधीन रास्ता रूढिगत रास्ता नहीं है । तहसील न्यायालय ने स्थल निरीक्षण में वैकल्पिक मार्ग का उल्लेख ही नहीं किया है । तहसील न्यायालय द्वारा बिना अभिलेख देखे रास्ता देने में वैधानिक भूल की है । आवेदक की भूमि में से अनावेदक की सुविधा के लिये रास्ता नहीं दिया जा सकता है । तहसील न्यायालय द्वारा आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एवं मौके पर उपस्थित पंच के कथनों पर विचार न करते हुये रास्ता दिये जाने का आदेश पारित करने में अवैधानिकता की है इसलिये तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त किये जाने योग्य है ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय द्वारा आवेदक को विधिवत् सूचना देकर मौके का स्थल निरीक्षण कराया जाकर पाया कि आवेदक द्वारा रास्ता रोका गया है, जिसे तहसील न्यायालय द्वारा अंतरिम

आदेश पारित कर रास्ता खोला गया है, 1996 आरएन 157, 1955 आरएन 311 के न्यायदृष्टांत अनुसार निगरानी में तहसील न्यायालय के अंतरिम आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है । अतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज की जाये ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा विधिवत् पंचों की उपस्थिति में मौके पर स्थल निरीक्षण किया गया है और स्थल निरीक्षण में प्रश्नाधीन रास्ता मौके पर होना और उसे आवेदक द्वारा जोतकर अवरूद्ध कराना पाया गया है अतः तहसीलदार द्वारा अंतरिम आदेश पारित कर प्रश्नाधीन रास्ता खोले जाने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है । इसके अतिरिक्त तहसीलदार द्वारा प्रकरण में अभी अंतरिम आदेश पारित किया है और अंतिम आदेश पारित होना है । जहॉ आवेदक को पक्ष समर्थन का पर्याप्त अवसर उपलब्ध है और वह साक्ष्यों से मौके पर प्रश्नाधीन रास्ता नहीं होना और अनावेदकगण के लिये मौके पर वैकल्पिक रास्ता खोला होना तथा अनावेदकगण का भूमिस्वामी नहीं होने के तथ्य को प्रमाणित कर सकता है । दर्शित परिस्थितियों में तहसीलदार द्वारा पारित आदेश विधिसंगत होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 5–3–2013 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर